अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटाँड़(विद्यासागर)

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–03/2022

तिथि	आदेश फलक	मंतव्य
1	2	3
05.2023	:-आदेशः- अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2074/रा0 दिनांक 13.5.16 के साथ सहपठित उपायुक्त, जामताड़ा के आदेश ज्ञापांक 461/रा0, दिनांक–14.5.16 के आधार पर संधारित किया गया है। उपायुक्त जामताड़ा के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में राजस्व उप निरीक्षक हल्का संख्या–03 ने अंचल निरीक्षक करमाटाँड(विद्यासागर) के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन दिया है कि करमाटाँड़(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा–करमाटाँड, थाना सं0–11, खाता सं0–107/23, रकवा–0.34 एकड़ भूमि जमाबंदीदार कुलशुम बीबी पिता–अब्दुल करीम अंसारी ग्राम– करमाटाँड, पोस्ट– करमाटाँड थाना–करमाटाँड, जिला जामताड़ा के नाम से पंजी–II में दर्ज है। तथा उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख के साथ स्थल जाँच करने पर पाया कि उक्त भूमि का सर्वे खतियान में किस्म–पुरातन पतित कहकर दर्ज है आगे प्रतिवेदित किया है कि चूँकी पंजी–II के प्राधिकार कालम में जमाबन्दी कायम करने का कोई आधार दर्ज नही है तथा जमाबन्दीदार के वारिशानो के द्वारा उक्त जमाबन्दी का कोई कागजात प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे उपरोक्त जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है अतः जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदीधारी अथवा उनके जीवित वारिशान को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया । वादी की ओर से उनके पौत्र मो0 मुरशीद तथा मो0 मुश्ताक सभी पिता–मो0 इस्माइल उपस्थित होकर अपने दावा के समर्थन में लगान रसीद सं0–1410213 एवं0 307594678 तथा अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा Settlement case No.-356 Of 1959-60 तथा उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा का वाद सं0–RMA No- 04/2019-20 के आदेश की छायाप्रति समर्पित किया है। वाद में समर्पित कागजातों की सत्यापित प्रति प्रदर्शित किया। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, करमाटाँड(विद्यासागर) ने संयुक्त रूप से प्रतिवेदन तथा नक्शा समर्पित किया है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं अंचल अमीन के साथ मौजा–करमाटाँड नं0–11 अन्तर्गत अनावादी खाता सं0–107/23, दाग सं0–581 रकवा–0.34 एकड किस्म पुरातन पतित भूमि का जाँच एवं मापी किया गया। आगे प्रतिवेदित किया है कि उक्त भूमि पर जमाबंदीधारी के जीवित वारिशानों के द्वारा मकान–सह–बाड़ी एवं आँगन बनाकर दखल–कब्जा है। बंदोवस्ती कागजात तथा राजस्व उप निरीक्षक हल्का सं0–3/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन करमाटाँड़(विद्यासागर) के जाँच सह मापी प्रतिवेदन के आलोक मे उपरोक्त वर्णित जमाबंदी सं0–107/23 को नियमित करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेत्तर कारवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा को भेजें। (हस्ताक्षर) 2.06.23 अंचल अधिकारी, करमाटाँड(विद्यासागर), जामताड़ा।	

Digitally signed by RAM PRAWESH KUMAR
Date: 2024.07.18 12:28:58 +05:30
Location: 192.168.1.2